न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–29 / 2024

रंजीत राय.....वादीगण

बनाम

रत्नेश कुमार सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण

10.10.25 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल अंतरिम व्यादेश आवेदन दिनांक–23.05.2025 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा दिनांक–11.07.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वादी ने वादपत्र के मद सं0–1 की भूमि पर हकियत की उद्घोषणा के साथ दखल–कब्जा वापसी के साथ स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया है। इसी बीच प्रतिवादी वादी को नुकसान पहुँचानके औरपरेशान करनके इरादे से स्थानीय लोगों के साथ भूमि को अलग करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जिस कारण विवादित भूखंड पर शांति भंग होने एवं रक्तपात होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। वादी के पास प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है तथा यदि प्रतिवादीगण वाद की सम्पत्ति को तीसरे पक्ष के अधिकार में स्थानांतरित करने में सफल हो जाते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा यदि अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो इससे कानूनी कार्रवाई में भी विविधता आएगी। वाद के विस्तृत तथा संलग्न वादपत्र में उल्लिखित हैं तथा इन्हें आवेदन के इस पैरा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि संक्षिप्तता के लिए हन्हें दोहराया नहीं गया है। वाद भूमि संबंधी आपराधिक मामला भी न्यायालय ए.डी.जे. पंचम, समस्तीपुर में चल रहा है, जिसका एस.टी. सं0–284 / 2024 पक्षकारों के मध्य है तथा यह संभावना है कि घटनास्थल पर हत्या या किसी खतरनाक अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।इसलिए प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदनपत्र को स्वीकृत करते हुए प्रतिवीदगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर उचित आदेश पारित करके बिक्री, हस्तांतरण, बंधक पट्टा, उपहार या किसी प्रकार के वाद सम्पत्ति को हस्तांतरित करने से रोकने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी ने अपने कारण–पृच्छा में निवेदन किया है कि वादी को उपरोक्त आवेदन दाखिल करने का कोई कारण प्राप्त नहीं है तथा वादी ने जिस कथनों एवं तथ्यों के साथ आवेदन दाखिल किया है वह चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, क्योंकि आवेदन पत्र में कोई कानूनी बल प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादपत्र के मद सं0–1 की भूमि पर हकियत की उद्घोषणा के साथ दखल–कब्जा वापसी एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में अवैध रूप से निर्माण करने पर तुले हुए हैं। वादपत्र के मद सं0–1 में दिए गए भूमि के विवरण के अनुसार आवेदन में इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है तथा वादी के अपने आवेदन में अभिवचन के अनुसार उनका कब्जा विवादित भूमि पर प्रतीत नहीं होता है। स्थायी व्यादेश अनुतोष प्राप्त करने के लिए यह साबित किया जाना भी आवश्यक है कि यदि प्रतिवादी के कार्य को नहीं रोका गया तो वादी को अपार या गंभीर क्षति होने की सम्भावना है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इस संबंध में वादी द्वारा कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। वादी ने वैकल्पिक उपचार के उपयोग के संबंध में भी कोई विवरण नहीं दिया है। व्यादेश प्राप्त करने के लिए वादी को यह भी सिद्ध करना होता है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, अर्थात उसे यह बताना होगा कि यदि व्यादेश वादी के पक्ष में जारी नहीं किया गया तो उसे ऐसी असुविधा होगी जो प्रतिवादी के पक्ष में जारी किए जाने पर उसको होने वाली असुविधा से अधिक होगी। स्पष्ट है

हकियत वाद–29 / 2024

10.10.25 कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में वादी का अभिवचन मौन है। तद्नुसार अनुतोष के संदर्भ में वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के विरुद्ध नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन **खारिज** किए जाने के साथ उनके द्वारा समान तिथि पर तिथि रिकॉल आवेदन को भी तथ्य से परे युक्तियुक्त न पाते हुए **निष्पादित** किया जाता है एवं अभिलेख को प्रतिदावा पत्र के संबंध में न्याय शुल्क दाखिल करने हेतु नियत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिदावा पत्र के संबंध में न्याय शुल्क अविलंब दाखिल करने के संबंध में समुचित पहल करते हुए धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु अगली निश्चित तिथि पर सदेह उपस्थित रहें।

अभिलेख दिनांक–**07.11.2025** वास्ते करने दाखिल न्याय शुल्क प्रतिदावा पत्र के संबंध में एवं धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।